



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं0 0135-2645249 फ़ैक्स नं0 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 867/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ-4

दिनांक: 29.07.2020

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित एवं कारपोरेशन कार्यावश्यकतानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्रम सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान	नवतैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1.	श्री विकास शर्मा, मुख्य अभियन्ता (स्तर-II)	मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं अनु0), देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता (सी0 एण्ड आर0), पिटकुल, देहरादून (अतिरिक्त कार्यभार)	मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0), गढवाल क्षेत्र, रुडकी।
2.	श्री कमलकान्त, मुख्य अभियन्ता (स्तर-II)	मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0), गढवाल क्षेत्र, रुडकी।	मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं अनु0), देहरादून

इसके साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अजय कुमार अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (परियोजना), गढवाल क्षेत्र, देहरादून अपने वर्तमान कार्यदायित्वों के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं नियामक), पिटकुल, देहरादून के कार्यदायित्वों का निर्वहन अतिरिक्त कार्यभार के रूप में करेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुमन्य नहीं होगा।

उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता कारपोरेशन नियमानुसार अनुमन्य होगा किन्तु वर्षा ऋतु के कारण विद्युत व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारु बनाये रखने हेतु आदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरित मुख्य अभियन्ता नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु मात्र गमन-आगमन की वास्तविक अवधि का उपभोग करेंगे तथा शेष कार्यभार ग्रहण काल का उपभोग नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त करेंगे। सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित अधिकारियों को नवतैनाती स्थान के लिए तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ-4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डी0ई0ओ0-निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0), पिटकुल, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इन निर्देशों के साथ प्रेषित कि विषयगत आदेश कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यैक्तिक पत्रावली।

(ए0के0 सुयाल)

उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)